



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्किट/421

दिनांक: 24 अगस्त 2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: पीआरसी/ईपीसीजी समिति के माध्यम से निर्यात दायित्व विस्तार प्रदान करने के लिए स्वचालित सुविधा का परिचय - व्यापार करने में सुगमता।

संदर्भ: डीजीएफटी व्यापार सूचना संख्या 21/2026-27 दिनांक 21.08.2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि पीआरसी/ईपीसीजी समिति द्वारा विचार किए गए अग्रिम प्राधिकरण (एए) और ईपीसीजी प्राधिकरण मामलों के संबंध में निर्यात दायित्व विस्तार प्रदान करने के लिए स्वचालित सुविधा की शुरुआत के संबंध में उपरोक्त व्यापार सूचना जारी की गई है।

जहां कोई निर्यातक पीआरसी/ईपीसीजी समिति के माध्यम से अग्रिम प्राधिकरण/ईपीसीजी प्राधिकरण के संबंध में ईओ विस्तार के लिए आवेदन करता है और समिति ईओ विस्तार प्रदान करने का निर्णय लेती है, तो अनुमोदित ईओ विस्तार को निर्यातक को संबंधित आरए में एक अलग ईओ विस्तार आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता के बिना सिस्टम के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।

यह प्रक्रिया निम्नानुसार संचालित होगी: 1. निर्यातक संबंधित अग्रिम प्राधिकरण/ईपीसीजी प्राधिकरण के लिए **पीआरसी/ईपीसीजी समिति** के माध्यम से ईओ विस्तार के लिए आवेदन करता है । 2. यदि समिति विस्तार को मंजूरी देती है, तो उक्त ईओ विस्तार सीधे सिस्टम के माध्यम से संसाधित किया जाएगा। निर्यातक को **डीजीएफटी पोर्टल के माध्यम से शुल्क भुगतान अनुरोध** प्राप्त होगा । 3. निर्यातक डीजीएफटी पोर्टल के माध्यम से आवश्यक शुल्क का भुगतान करेगा और प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगा। 4. प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने और सफल भुगतान के बाद, ईओ विस्तार फ़ाइल स्वचालित रूप से बनाई जाएगी, सिस्टम में अनुमोदित की जाएगी और संबंधित ईओ विस्तार पत्र उत्पन्न किया जाएगा। 5. संशोधित ईओ समाप्ति तिथि डीजीएफटी सिस्टम में अद्यतन की जाएगी और आईसीईगेट को सूचित की जाएगी

। सदस्यों से अनुरोध

है कि वे आधिकारिक व्यापार सूचना यहां देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260824123440.pdf

कृपया संलग्न दस्तावेजों को देखें:

1. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) समिति के लिए आवेदन: सहायता मैनुअल https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260824024830.pdf

2. निर्यातकों के लिए नीतिगत छूट समिति (पीआरसी) का उपयोगकर्ता मैनुअल: https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260824024916.pdf

सदस्यों को dgftedi@nic.in पर ईमेल के माध्यम से प्रतिक्रिया और सुझाव देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है । कृपया इसकी एक प्रति bharti@plexconcil.org और shi_lpa@plexconcil.org पर भी भेजें।

सहायता माध्यम: सहायता के लिए, निर्यातक टोल-फ्री नंबर के माध्यम से डीजीएफटी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या डीजीएफटी वेबसाइट पर "सेवाएं -> डीजीएफटी हेल्पडेस्क सेवा" के अंतर्गत सेवा टिकट बना सकते हैं।

यह जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल